वस्तुओं और कारणों के कथन

उत्तेजित करने के लिए, विकल्प में, रक्षा बलों में भर्ती के व्यक्तियों से विरत या करने के लिए डिजाइन सार्वजनिक भाषणों की एक बड़ी संख्या उन बलों पिछले 18 महीनों के दौरान सूचना के लिए आए हैं शामिल होने के बाद गदर या अवज्ञा का कृत्य करने के लिए रंगरूटों होगा. वक्ताओं की वस्तु को स्पष्ट रूप से शांति का प्रसार नहीं है, लेकिन विरत करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य लगे हुए हो सकता है, जिसमें किसी भी युद्ध में भाग लेने से रंगरूटों होगा. विधेयक में इन गतिविधियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है -. भारत के राजपत्र, 13-8-1938, भाग वी, पृ. 276.

अधिनियम बाद की विधान से कैसे प्रभावित

- 1951 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित.

- एएलओ, 1950 द्वारा रूपांतरित.

- अधिनियमों 1949 की 59 से विस्तारित; 1950 की 30;Regns. 1963 के 6; 1963 की 7; और 1965 के 8.

- 1955 के अधिनियम द्वारा 7 असम में विस्तारित; मूल द्वारा उड़ीसा में. पंजीकरण. 1963 के 1.

- 1950 के अधिनियम 4 से बंबई में बढ़ाया.

इसमें और) संघ की 1 [सशस्त्र बल, के अनुशासन के लिए सेवा करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती के प्रतिकूल कुछ कार्य करता है, की सजा के लिए प्रदान करके आपराधिक कानून के पूरक समीचीन है; यह इस प्रकार है इसके द्वारा अधिनियमित किया गया है:

फौज में भर्ती बाद गदर या अवज्ञा करने फौज में भर्ती और शह से 2. निषेध

जो कोई भी-

(एक) सेना, नौसेना या 1 की वायु सेनाओं [संघ] में सेवा करने के लिए व्यक्तियों की प्रतिकूल भर्ती को प्रभावित करने के इरादे से, जानबूझकर विरत करना या किसी भी तरह की ताकतों में प्रवेश करने से सार्वजनिक या किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए प्रयास करता है; या

(ख) dissuading या इस तरह की ताकतों में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए प्रयास के बिना, ऐसा करने के लिए सार्वजनिक या किसी भी व्यक्ति को उकसाती है, ऐसे किसी भी सेना, भारतीय सेना अधिनियम की धारा 27 के तहत गदर या अवज्ञा के रूप में दंडनीय अपराध है जो कुछ भी प्रवेश करने के बाद, 1911, या वर्गों 10,12 2 की and14to17 समावेशी [***] भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, जैसा भी मामला हो 1934 ओरसेक्शन्सभारतीय वायु सेना अधिनियम, 1932 की 35to37 समावेशी, विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा एक वर्ष के लिए, या ठीक, या दोनों के साथ साथ.

कोई व्यक्ति 3 [राज्य सरकार] 4 की पूर्व मंजूरी के साथ छोड़कर इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा करेगा

अपवाद 1. -

इस खंड के खंड (क) के प्रावधानों पर टिप्पणी या सेना, नौसेना या Enlistment से dissuading का कोई इरादा बिना अच्छा विश्वास में किया वायु सेनाओं के संबंध में सरकार की नीति की आलोचना करने के लिए विस्तार नहीं है.

अपवाद द्वितीय. -

इस खंड के खंड के प्रावधानों (क) सलाह यह दी जाती है जिसे करने के लिए व्यक्ति के लाभ के लिए अच्छा विश्वास में दी गई है, जिसमें मामले का विस्तार करने, या अपने परिवार की या किसी के किसी भी सदस्य के लाभ के लिए नहीं है उसके आश्रितों.

1. एएलओ द्वारा "महामहिम", 1950 'के लिए एवजी

2. शब्द "नौसेना अनुशासन अधिनियम द्वारा भारतीय नौसेना के लिए आवेदन के रूप में" एएलओ, 1950 द्वारा छोड़े गए थे.

3. एएलओ, 1950 से 'प्रांतीय सरकार' के लिए एवजी.

4. कला के खंड (1) के अनुसरण में. संविधान के 239, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री दिल्ली के आयुक्तों, अजमेर और कूर्ग करेगा, केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है और अगले आदेश तक, आपराधिक कानून संशोधन के एस 2 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है अधिनियम, 1938 (1938 का 20) क्रमश: दिल्ली, अजमेर और कूर्ग के राज्यों में. Gaz में प्रकाशित SR0.2416, D/-20-7-1954, देखें. , Ind की, 24-7-1954, पं.. द्वितीय, एस 3, पेज 1806. अजमेर और कूर्ग अब क्रमश: राजस्थान और मैसूर के राज्यों के साथ विलय कर दिया है.

जय हिंद Human rights Foundation Of India